ऑन लाईन नं. RCMS 2024/47

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 10/2024

1. चिमन खां पुत्र श्री हाकम अली जाति मुसलमान साकिन खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. विद्यादेवी पत्नी मनफूल राम जाति बांवरी निवासी–खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :
1.श्री मोहन लाल माहर , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री बलकरण सिंह बराड, राजकीय अधिवक्ता

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार सादुलशहर अनुवानी विद्या देवी बनाम चिमन खां, प्रकरण संख्या 01/2024 आदेश दिनांक 13.03.2024 जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विधि विरूद्व एवं बिना क्षेत्राधिकार के स्वीकार फरमाया गया– मनसूखी बाबत।

::आदेश:: **दिनांक :–25.02.2026**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

1. यह कि अपीलाधीन आदेश न्याय, नियम एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य के विपरीत पारित किया गया है। प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलाधीन आदेश की सलंग्न अपील है।
2. यह कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने एक नियमित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विचारण न्यायालय के समक्ष इस आश्य का प्रेषित किया कि वाके चक 23 पीटीपी तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 16 (.253 है.), 25 (.165 है.), मुरब्बा नम्बर 62 के 5/1(.025 है.), मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 20–21 प्रत्येक सालम एवं मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 1 में .164 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थीया तथा उसके पुत्र बनवारी , कृष्ण, लालचन्द, पप्पू तथा कालूराम के नाम से विरास्तन मनफूलराम पुत्र काना राम की मृत्युपरान्त प्राप्त हुई है। खातेदारी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 5/1(.025 है.), तथा 5/2(.025 है.) कुल .076 हैक्टेयर पर चिमन खां ने नाजायज कब्जा कर रखा है। अप्रार्थी/अपीलार्थी दिनांक 29.02.2024 को उपस्थित हुए एवं दिनांक 07.03.2024 को ही अन्तिम अवसर देकर दिनांक 13.03.2024 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।
3. यह कि अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। अपीलार्थी को जवाबदेही एवं साक्ष्य हेतु समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अपीलार्थी दिनांक 29.02.2024 को हाजिर हुआ, आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.03.

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

2024 को अन्तिम अवसर दिया और दिनांक 13.03.2024 को बिना अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया जो कि निरस्ती योग्य है।

4. यह कि अपीलाधीन आदेश Res Judicate के सिद्धान्तों से प्रभावित होता है, पूर्व में भी रेस्पोडेण्ट विद्यादेवी व पुत्र बनवारी लाल के द्वारा अनुवानी प्रकरण विद्यादेवी बनाम बिगन खा प्रकरण संख्या 08/2002 अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का तहसीलदार सादुलशहर के समक्ष प्रेषित किया गया जो दिनांक 18.02.2003 निरस्त फरमा दिया गया जिसकी अपील भी माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2006 को निरस्त फरमा दी गई जो कि अन्तिम हो चुका है, इसलिये प्रार्थना पत्र व रेस ज्यूडीकेटा के प्रभाव से निरस्तीय योग्य है।
5. यह कि रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाधित पेश किया गया था, चूंकि प्रश्नगत् कृषि भूमि को रेस्पोडेण्ट के पति मनफूलराम पुत्र कानाराम ने दिनांक 16.07.1999 को मोहनलाल को तथा मोहनलाल ने दिनांक 19.09.2002 को दरबारा सिंह तथा दरबारा सिंह ने पुनः 14.03.2023 को अन्तरण किया था जिसकी रागस्त जानकारी रेस्पोडेण्ट्स को प्रकरण संख्या 08/2002 अनुवानी विद्यादेवी बनाम बिगन खां वगैरहा में निर्णय दिनांक 18.02.2003 से थी। रागस्त तथ्यों को छिपाकर पुनः अवधि बाधित प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।
6. यह कि निर्विवादित रूप से प्रश्नगत् कृषि भूमि मौके पर नहीं है जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का दिनांक 14.02.2024 के अनुसार मौके पर केवल किला नम्बर 5/2 (.025 हैं.) कृषि भूमि पर होटल बना हुआ है, जबकि रेस्पोडेण्ट के कथनानुसार .076 हैक्टयर भूमि पर नाजायज काश्त है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एवं जांच प्रतिवेदन में घोर विरोधाभाषी है।
7. यह कि अपीलार्थी से प्रश्नगत् कृषि भूमि पर साधिकार (Law fully) काबिज है जो अतिक्रमी की हैसियत से नहीं बल्कि इकरारनामा की हैसियत से सहमति से काबिज है।
8. यह कि निर्विवादित रूप से प्रश्नगत् कृषि भूमि राजस्व अभिलेखानुसार रेस्पोडेण्ट के अलावा उसके परिवारजन पुत्र बनवारी, कृष्ण, लालचन्द, पप्पू एवं कालूराम पिसरान मनफूल राम भी सह खातेदार है। आवश्यक सहखातेदारों के पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र Non Joinder of necessary Party के अभाव में निरस्तीय योग्य है।
9. यह है कि अन्य तथ्य बरवक्त बहस अर्ज किये जायेंगें।
10. यह कि अपील श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2024 को निरस्त फरमाया जावें व अपीलार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावें तो जनबा की मेहरबानी होगी।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट विद्यादेवी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थीया एवं प्रार्थीया के पुत्रान व पुत्री कृष्ण लाल, कालु राम , बनवारी लाल , लालचन्द व लक्ष्मी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में तहसील सादुलशहर के वाके चक 23 पीटीपी की जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के खाता संख्या 97/97 के पत्थर नम्बर 93/148 के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 16 में 0.253 नहरी व किला नम्बर 25 में 0.165 हैक्टर नहरी व पत्थर नम्बर 193/149 के मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 1 में 0.051 हैक्टर नहरी व

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

किला नम्बर 5/2 में 0.025 हैक्टर नहरी व पत्थर नम्बर 94/148 के मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 20–21 सालम नहरी , पत्थर नम्बर 194/149 मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 1 में 0.164 हैक्टर नहरी कुल 1.165 हैक्टर नहरी अराजी में खातेदार दर्ज है। प्रार्थीया एवंम प्रार्थीया के पुत्रान व पुत्री के नाम से दर्ज उक्त आराजी में से चक नम्बर 23 पीटीपी के खाता संख्या 97/97 के पत्थर नम्बर 93/149 के मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 5/1 में 0.051 हैक्टर नहरी व 5/2 में 0.025 हैक्टर नहरी कुल 0.076 हैक्टर नहरी यानि 6 बिस्वा नहरी आराजी पर अप्रार्थी चिमन खां पुत्र हाकम अली द्वारा नाजायज कब्जा कर रखा है जिसे प्रार्थीया छुडवाने की कानूनी हकदार व अधिकारी है तथा प्रार्थीया एक हरीजन औरत जात है व अप्रार्थी सामान्य जाति रो है आदि आदि पर पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट/अप्रार्थी के अधिवक्ता को सुंनवाई एवं जवाब हेतु समुचित अवसर देने के बाद जब अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों एवं नियमों की पालना करते हुए दिनांक 13.03.2024 को प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी स्वीकार करते हुए अप्रार्थी को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2024 अप्रार्थी चिमन खां को मौके से बेदखल कर कब्जा प्रार्थीया को दिलवाया जा चुका है। अपीलांट का यह कहना कि उक्त विवादित रकबा मेरे द्वारा दरबारा सिंह से दिनांक 14.03.2023 को खरीद किया गया तथा दरबारा सिंह द्वारा मोहन लाल से खरीद करना बताया है। मोहन लाल द्वारा दिनांक 16.07.1999 को मनफूलराम पुत्र कानाराम से खरीद किया गया बताया है जबकि कोई भी ईकरारनामा किसी भी कार्यालय रो पंजीबद्व नहीं हुआ है और ना ही मनफूल राम पुत्र कानाराम द्वारा अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को अपनी कृषि भूमि का बेचान किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 42 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी अनुसूचित जाति की कृषि भूमि को सामान्य जाति का व्यक्ति किसी भी सूरत में खरीद नहीं सकता है इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय एवंम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर काफी सिद्वान्त प्रतिपादित किये गये है एवंम अपीलांट का यह कहना कि उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में भी निर्णय पारित किया गया है जिसकी वजह से रेस ज्यूडीकेटा के प्रावधान के प्रावधान लागू होते है जबकि उक्त प्रकरण में पेरेन्टल कानून राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि सामान्य जाति का व्यक्ति खरीद नहीं सकता है तो ऐसी सूरत में रेस ज्यूडीकेटा का प्रावधान उक्त हस्तगत प्रकरण में किसी भी सूरत में लागू नहीं होता है। इसके अलावा अपीलांट का यह कहना कि अन्य पक्षकारों को भी प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए Non Joinder of necessary Party के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य था जबकि धारा 183–बी राज0 काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है जिसके अन्तर्गत अन्य सह खातेदारों को पक्षकार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है यहां यह कहना भी उचित होगा यदि पीठासीन अधिकारी के स्वयं के संज्ञान में यां किसी पक्षकार के आवेदन पर यह साबित हो जाता है कि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि पर किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति के द्वारा नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है तो पीठासीन अधिकारी तुरन्त प्रभाव से उक्त कृषि भूमि को स्वर्ण जाति के कब्जाधारी व्यक्ति को बेदखल करने का आदेश पारित कर सकता है। तहसीलदार सादूलशहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2024 विधिसम्मत् है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यो को अपनी बहस में दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

धारा 183-बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि चक 23 पीटीपी तहसील सादुलशहर के मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 16(.063 है.) 18 (.165 है.), मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 5/1(.025 है.) तथा 5/2(.025 है.) मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 20-21 प्रत्येक साबुत एवं मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 1 मे .164 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थीया तथा उसके पुत्र बनवारी, कृष्ण, लालचन्द, पप्पू तथा कालूराम के नाम से विरासतन मनफूलराम पुत्र काना राम की मृत्युपरान्त प्राप्त हुई है। खातेदारी कृषि भूमि मे से मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 5/1(.025 है.) तथा 5/2 (.025 है.) कुल .076 हैक्टेयर पर निशान खां ने नाजायज कब्जा कर रखा है। अपीलार्थी दिनांक 29.02.2024 को उपस्थित हुए एवं दिनांक 07.03.2024 को ही अन्तिम अवसर देकर दिनांक 13.03.2024 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया गया है। अपीलार्थी को जवाबदेही एवं साक्ष्य हेतु समुचित अवसर प्रदान नही किया। अपीलाधीन आदेश Res Judicata के सिद्धान्तो से प्रभावित होता है क्योकि पूर्व मे भी रेस्पोडेन्ट विद्यादेवी व पुत्र बनवारी लाल के द्वारा प्रकरण विद्यादेवी बनाम निशान खां प्रकरण संख्या 08/2002 अन्तर्गत धारा 183-बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का तहसीलदार सादुलशहर के समक्ष पेश किया गया जो दिनांक 18.02.2003 निरस्त फरमा दिया गया जिसकी अपील भी माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2006 को निरस्त फरमा दी गई जो कि अन्तिम हो चुका है इसलिये प्रार्थना पत्र व रेस ज्यूडीकेटा के प्रभाव से निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 183-बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत पेश किया गया था, चूंकि प्रश्नगत कृषि भूमि को रेस्पोडेन्ट के पति मनफूलराम पुत्र कानाराम ने दिनांक 18.07.1999 को मोहनलाल को तथा मोहनलाल ने दिनांक 19.09.2002 को दरबारा सिंह तथा दरबारा सिंह ने पुनः 14.03.2023 को अन्तरण किया था जिसकी समस्त जानकारी रेस्पोडेन्टगण को प्रकरण संख्या 08/2002 अनुवानी विद्यादेवी बनाम निशान खां वगैरहा मे निर्णय दिनांक 18.02.2003 से थी। समस्त तथ्यों को छिपाकर पुनः अवधि बाधित प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। निर्विवादित रूप से प्रश्नगत कृषि भूमि मौके पर नहीं है जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का दिनांक 14.02.2024 के अनुसार मौके पर केवल किला नम्बर 5/2(.025 है.) कृषि भूमि पर होटल बना हुआ है, जबकि रेस्पोडेन्ट के कथनानुसार .076 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज काश्त है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एवं जांच प्रतिवेदन में घोर विरोधाभासी है। अपीलार्थी से प्रश्नगत कृषि भूमि पर साधिकार (Law full) काबिज है जो अतिक्रमी की हैसियत से नहीं बल्कि इकरारनामा की हैसियत से सहमति से काबिज है। निर्विवादित रूप से प्रश्नगत कृषि भूमि राजस्व अभिलेखानुसार रेस्पोडेन्ट के अलावा उसके परिवारजन पुत्र बनवारी, कृष्ण, लालचन्द, पप्पू एवं कालूराम पिसरान मनफूल राम भी सहखातेदार है। आवश्यक सहखातेदारों के पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र Non Joinder of necessary Party के अभाव में निरस्तीय योग्य है। उक्त विवादित भूमि को अगर अवैध हस्तान्तरण माना भी जाता है तो उस पर 183-बी की कार्यवाही नहीं की जा सकती। धारा 175 की कार्यवाही की जा सकती है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 183-बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र 27 वर्ष 6 माह बाद पेश किया है जबकि अधिकतम मियाद 12 साल है। अतः मियाद के बिन्दु पर ही रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना 183-बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाया जाना चाहिए था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया । अतः अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर स्वीकार फरमाई जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2024 को निरस्त फरमाया जावें।
अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निम्न नजीरे पेश की है :-

1. आर.आर.टी. 2018 (2) पेज- 1537-1540

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

2018(2) RRT 1557
BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER
HON'BLE MEMBER MR. VIJAY KUMAR SONI
SISHPAL
VS
SEDURAM
REVISION TA NO. 1354/JHUNJHUNU OF 2006 DECIDED ON 13TH AUG. 2018

Rajasthan tenancy Act, 1955-sec 183-B-Application filed to dispossess the petitioner 'SP' Form ½ share of the khasra no 129-Application allowed & ordered to evict the petitioner- Thesildar passed the order ex-parte without hearing the petitioner-No proper service of notice-Non-petitioner is a member of Scheduled Caste-Patwari Halka submitted the report thata the non-petitioner sold the plot of 75X125 ft to govind & the Govind sold it to the petitioner-No lawful possion of the petitioner over the land-Held , Orderlsl are set aside & case is remanded to decide afresh.

2. आर.आर.टी. 2008(1) पेज–28–30

2008(1) RRT 28
BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER
SHRI A K PUROHIT MEMBER
CHATURBHUJ VS BEHRA & Ors
REVISION NO. 5302 UDAIPUR OF 2005; DECIDED ON '14' AUGUST 2007

Rajasthan tenancy Act, 1955-sec 183-B- Thesildar ordered to evict the petitioner-collector also dismissed the appeal-Revision-Legality of order-Non-petitioners are the recorded Khatedar-'MS' sold the land to petitioner but in what capacity he sold it not disclosed-No legal right to 'MS' to sale the land-Tehsildar &Collector not considered the question of limitation raised by petitioner-Question of limitation is important-Held, Order set aside & case remanded to Collector to decide afresh.

3. आर.आर.टी.2019 (1) पेज–281–284

2019(1) RRT 281
BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER
HON'BLE MEMBER MR. MOHAN LAL NEHRA
SONU & Ors.
VS.
Balwant Singh & Ors.
REVISION TA NO. 3707/Sri Ganganagar of 2015 DECIDED ON. 1st Nov., 2018

Rajasthan tenancy Act, 1955-sec. 183-B-Eviction of trespasser from the land of person of Scheduled Caste-Tehsildar allowed the application but the Additional Collector set aside the order-Heirs of 'R' sold the land to non-petitioners in the year 1973 &since then they are in possession of the land and they cannot be treataed as trespasser- Earlier filed application u/Sec. 183-B also dismissed –Suit u/Sec. 175 is also pending –Held , No illegality in the order impugned.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट विद्यादेवी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आश्य का प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थीया एवं प्रार्थीया के पुत्रान व पुत्री कृष्ण लाल, कालु राम ,बनवारी लाल , लालचन्द व लक्ष्मी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में तहसील सादुलशहर के वाके चक 23 पीटीपी की जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के खाता संख्या 97/97 के पत्थर नम्बर 93/148 के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 16 में 0.253 नहरी व किला नम्बर 25 में 0.165 हैक्टर नहरी व पत्थर नम्बर 193/149 के मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 1 में 0.051 हैक्टर नहरी व किला नम्बर 5/2 में 0.025 हैक्टर नहरी व पत्थर नम्बर 94/148 के मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 20–21 सालम नहरी , पत्थर नम्बर 194/149 मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 1 में 0.164 हैक्टर नहरी कुल 1.165 हैक्टर नहरी अराजी में खातेदार दर्ज है। उक्त विवादित भूमि का बेचान जरिये ईकरारनामा हरिजन से स्वर्ण हुआ जो पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से होता है। अधिनस्थ न्यायालय सादुलशहर द्वारा धारा 183 बी प्रकरण सुख्या 01/2024 अनवानी विद्यादेवी बनाम चिमन खा निर्णय दिनांक 13.03.2024 जो पारित किया गया है वह एकतरफा अपीलार्थी चिमन खां को बिना सुनवाई का मौका दिये पारित किया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय की उक्त अनवानी पत्रावली का अवलोकन करने से प्रमाणित होता है क्योंकि अप्रार्थी चिमन खां के अधिवक्ता द्वारा तारीख पेशी दिनांक 09.02.2024 को उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया जिस पर तारीख पेशी दिनांक 07.03.2024 निर्धारित की गई एवं तारीख पेशी दिनांक 07.03.2024 को अन्तिम अवसर दिया जाकर तारीख पेशी दिनांक 13.03.2024 को उक्त निर्णय पारित करते हुए कब्जा से बेदखल

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

करने के आदेश पारित किये गये जो न्यायसंगत नहीं है। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायलाय का आदेश दिनांक 13.03.2024 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि सभी पक्षकारान को विधिवत् सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावें, एवं रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner